संख्या-06/2024/843/24-पी-2-24-20099/31/2024

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्तिभवन, लखनऊ
(2) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्तिभवन, लखनऊ
(3) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,शक्तिभवन, लखनऊ
(4) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,शक्तिभवन, लखनऊ
(5) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी
(6) प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ
(7) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल वि0वि0नि0लि0, मेरठ
(8) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल वि0वि0नि0लि0, आगरा
(9) प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर
(10) निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 12 सितम्बर, 2024

विषयः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में धारा-482 के अन्तर्गत योजित एप्लीकेशन संख्या-27330/2024 आधार चांद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री अभिषेक श्रीवास्तव, मुख्यस्थायी अधिवक्ता-VII,मा0 उच्च न्यायालयइलाहाबाद केदिनांक रहित पत्र**की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है किप्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21.08.2024 के सुनवाई में इस तथ्य को उल्लेखित किया गया है कि कई बार जब भी (विद्युत विभाग से सम्बन्धित) कोई भी प्रकरण मा0 न्यायालय में प्रस्तुत होता है, तो विद्युत विभाग की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है। जब भी न्यायालय द्वारा प्रबंध निदेशक को नोटिस भेजी जाती है, तो उनके द्वारा मा0 न्यायालय में उपस्थित होकर यह कहा जाता है कि उनका नाम नोटिस बोर्ड पर अंकित नहीं होने के कारण वह मा0 न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सके। इससे प्रतीत होता है कि मा0 न्यायालय में योजित वादों की पैरवी ढंग से नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत है-**

**When the matter was called out, neither anyone appeared on behalf of the Electricity Department nor any adjournment has been sought.**

**On perusal of the memo of parties, an advance copy was serverd by the applicant to the counsel of the Electricity Department. It's not a single case, in many of the cases when the matter is listed first time, none appears for the Electricity Department. When the Court issued notices to**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**Managing Director, they come and say that their name was not reflected on the notice board, therefore, they could not appear in the Court, it seems there is flow in marking and following up of the cases, counsel do not keep track of the cases, as to where their case is listed before the Court. The Secretary (Energy) is directed to issue appropriate directions to their counsel so that matter is listed and their presence can be ensured in absence of the counsel a copy of this order Secretary for issuing appropriate direction. Failing which Court shall constant to summon the Managing Director respective to the Corporation to assist the case.**

3- **मा0 न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशो के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही** कर उक्त की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का **का** कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।